न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।
<u>आदेश</u>

बंटवारा वाद संख्या 20/2019
सीआइएस 20.19

दिनांकः 22.01.2024 वाद पुकारा गया । प्रस्तुत मामला प्रतिवादी सं0 8 ता 14, 23, 24, 26 ता 28 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 8 ता 14, 23, 24, 26 ता 28 का कथन है कि प्रतिवादीगण दिनांक 16.02.2020 को हाजिर हुए परंतु अगली तारीख 22.04. 2020 से कोविड 19 के कारण न्यायालय कार्य बाधित रहा जिसके कारण चंद कागजात उपलब्ध नहीं हो सका। प्रतिवादी को सही कानून की जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 9 और प्रतिवादी सं0 23, 24 के द्वारा अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया । परंतु कोविड 19 के कारण मामले में न्यायालय का कार्य नहीं हो सका । यह कि जिन अधिवक्ता को जवाब लिखकर दिया गया वह प्रतिवादी सं0 9 के साले हैं और प्रतिवादीगण अधिवक्ता के विश्वास में आ गए । यह कि प्रतिवादी के अधिवक्ता वादी की तरफ से न्यायालय में कार्य करते हैं यह बात बाद में पता चली । यह कि लालच में पड़कर प्रतिवादीगण को गफलत में डालकर समय से कानूनी मशविरा नहीं मिलने के कारण प्रतिवादीगण को दिनांक 09.03.2021 को बयान तहरीरी से वंचित कर दिया गया । यह कि प्रतिवादी सं0 5 और 6 दिनांक 02.03.2020 को वकालतन हाजिर हुए और दिनांक 27.1.2021 को जवाब दाखिल किये जो दिनांक 09.03.2021 को 300रु खर्चे पर स्वीकृत हुआ । यह कि अधिवक्ता के गफलत में डाले जाने के कारण और कोविड 19 के कारण बयान में देरी हुई अतः दिनांक 09.03.2021 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी मंजूर करने की कृपा करें ।

वादीगण ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रतिवादी सं0 23, 24, 26, 27, 28 दिनांक 16.03.2020 को न्यायालय में वकालतन हाजिर हुए और बयान तहरीरी दाखिल करने के लिए समयावेदन दिया । यह कि विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर होने के बाद पैरवी करना छोड़ दिए हालांकि बीच बीच में हाजिरी पड़ती रही किन्तु किसी तरह का कोई समयावेदन नहीं दिया गया । । यह कि जवाब दाखिल होने में देरी का कारण कोविड और कागजातों का उपलब्ध न होना बताया गया है । यह कि प्रतिवादी की ओर से दिनांक 16.03.2020 के बाद अगली पैरवी 27.01.2021 , 15.2.2021 और 9.03.2021 को की गयी। परंतु बयान तहरीरी दाखिल नहीं हुआ । यह कि न्यायालय द्वारा पुकार कराने के पश्चात प्रतिवादी के अधिवक्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और न्यायालय द्वारा आदेश फलक का अवलोकन करने के बाद यह पाया गया कि प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया अतः न्यायालय ने बयान तहरीरी दाखिल करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन को 357 दिनों के बाद बयान तहरीरी देने से वंचित कर दिया। यह कि वंचित करने के बाद प्रतिवादीगण 06.04.2021 को नय वकालतनामा के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए और दिनांक 09.03.2021 के आदेश को रिकाल करने हेतु आवेदन दे दिया। यह कि आवेदन पर जब बहस होने लगी और वादी के अधिवक्ता ने कैलाश बनाम ननकु , बिंदेश्वरी कामकर वगैरह बनाम राधा तिवारी व कृष्णा दूबे बनाम ओम प्रकाश प्रसाद दिनांक 7.12.2015 , मे0 आदित्य होटल लिमिटेड बनाम बाम्बे स्वदेशी स्टोर लिमिटेड दिनांक 26.03.2007, सलेम एडवोकेटेड बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ

इंडिया दिनांक 2.08.2005 में पारित निर्णयों का जब हवाला दिया तब प्रतिवादी की ओर से वादी के अधिवक्ता को बदनाम करने के ख्याल से एक दूसरा आवेदन दिनांक 09.03.21 को वापस करने हेतु दिनांक 17.05.2022 को दे दिया गया । व्यवहार प्रकिया संहिता में ऐसा प्रावधान नहीं है कि अलग अलग कारणों के आधार पर आवेदन दिया जा सके। इसलिए अतः न्यायालय से निवेदन है कि दिनांक 17.05.2022 के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में प्रतिवादीगण के आवेदन का अवलोकन किया। वादी के प्रतिउत्तर का भी अवलोकन किया । मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का भी अवलोकन किया । मामले में न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के **सिविल अपील संख्या 4296/23 के यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी तथा अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय ने समस्त न्यायालयों, जिला एवं तालुका लेबल के प्रत्येक न्यायालय को यह निर्देश निर्गत किया है कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश नियम 8 में दिये गये समय सीमा 30 दिन के अंदर लिखित कथन आना चाहिए नहीं तो परन्तुक में निर्धारित समय सीमा क्यों बढ़ायी जाए इस संबंध में कारण दर्शित करना चाहिए ।** न्यायालय जब समस्त तथ्यों का अवलोकन करती है तो यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण दिनांक 16.03.2020, 27.01.21, 15.02.21, 09.03.21 को पैरवी किए है इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को मुकदमे की जानकारी थी और उनके पास इस बात का पर्याप्त अवसर था कि वह निर्धारित समय सीमा में अपना जवाब दाखिल कर दे यद्यपि 2020 और 2021 कोविड 19 से प्रभावित वर्ष रहे हैं फिर भी प्रतिवादीगण की पैरवी यह दर्शित करती है कि उन तिथियों में न्यायालय में सामान्य कामकाज हुआ है, दूसरा तथ्य यह है कि मामले में प्रतिवादीगण ने एक आवेदन पूर्व में भी अपना लिखित कथन स्वीकार करने हेतु दिनांक 06.04.21 को दिया था परंतु बाद में दिनांक 22.06.2022 को उस आवेदन को नॉट प्रेस कर दिया और दिनांक 17.05.2022 को वर्तमान आवेदन दिया इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने दोनों आवेदन जो कि दिनांक 06.04.2021 और 17.05.2022 को दिया गया उन दोनों आवेदनों में न्यायालय के दिनांक 09.03.21 के आदेश को वापस लेने के अलग अलग तथ्य वर्णित किये हैं । मामले में चूंकि लिखित कथन स्वीकृत करने हेतु आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय के पश्चात दिया गया है अतः न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 4296/23 के यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी तथा अन्य** के मामले में पारित निर्णय के आलोक में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 17.05.2022 अस्वीकृत करती है। तथा एतद द्वारा प्रतिवादीगण सं0 8 ता 14, 23, 24, 26 ता 28 का लिखित कथन नामंजूर किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।